दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 25-04-2026

विषय सूची

दलीय आंतरिक लोकतंत्र
भारत में श्रमिक संघों का क्षीणन
दल-बदल विरोधी कानून
मिथोस चुनौती: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा एवं वैश्विक शासन
प्रस्तावित कीटनाशक विधेयक को लेकर उद्योग निकाय द्वारा चिंता व्यक्त

संक्षिप्त समाचार

BRICS-MENA दूतों ने पश्चिम एशिया में युद्ध पर चिंता व्यक्त की
SAARC मुद्रा विनिमय रूपरेखा
RBI द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द
प्रोजेक्ट दंतक
FTO रैंकिंग

दलीय आंतरिक लोकतंत्र

समाचार में

- हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसदों के विभाजन ने राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की तात्कालिक आवश्यकता को उजागर किया।

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र

- इसे **अंतर-दलीय लोकतंत्र** भी कहा जाता है। इसका आशय है कि दल के ढाँचे के अंदर निर्णय-निर्माण और विचार-विमर्श में दल के सदस्यों को किस स्तर और किन तरीकों से शामिल किया जाता है।

आंतरिक दलगत लोकतंत्र का महत्व

- **लोकतंत्र की नींव**: राजनीतिक दल लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक हैं। यदि दलों के अंदर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली न हो, तो संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सार्थकता और प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है।
- **पारदर्शी प्रत्याशी चयन**: पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करती हैं कि उम्मीदवार योग्यता, जनसमर्थन एवं प्रदर्शन के आधार पर चुने जाएँ, न कि केवल निष्ठा या पक्षपात के आधार पर।
- **जवाबदेही**: आंतरिक चुनाव और परामर्श नेताओं को केवल शीर्ष नेतृत्व के बजाय दल के सदस्यों के प्रति जवाबदेह बनाते हैं, जिससे उत्तरदायित्व एवं वैधता बढ़ती है।
- **वंशवादी राजनीति में कमी**: आंतरिक लोकतंत्र के अभाव में सत्ता परिवारों या अभिजात वर्ग में केंद्रित हो जाती है, जिससे बुनियादी नेताओं के अवसर सीमित होते हैं और योग्यता-आधारित राजनीति कमजोर होती है।
- **गुटबाज़ी और अस्थिरता की रोकथाम**: नेतृत्व परिवर्तन और विवाद समाधान के लिए संरचित आंतरिक तंत्र दलों में विभाजन, दलबदल और अस्थिरता को कम करते हैं।

भारतीय दलों में आंतरिक लोकतंत्र क्यों कमजोर है

- **केंद्रीकृत नेतृत्व**: दल प्रायः करिश्माई नेताओं या वंशवादी परिवारों के आस-पास केंद्रित रहते हैं, जिससे सामूहिक निर्णय-निर्माण हाशिये पर चला जाता है।
- **अस्पष्ट प्रत्याशी चयन**: टिकट प्रायः निष्ठा, जातीय समीकरण या वित्तीय प्रभाव के आधार पर दिए जाते हैं, न कि बुनियादी परामर्श से।
- **गुटबाज़ी और संरक्षणवाद**: आंतरिक असहमति को दबा दिया जाता है और गुटों का प्रबंधन संरक्षणवाद से किया जाता है, न कि खुले लोकतांत्रिक विमर्श से।
- **कमज़ोर संस्थागत नियम**: कोई सशक्त कानूनी ढाँचा नहीं है जो दलों को आंतरिक चुनाव कराने या वित्तीय विवरण सार्वजनिक करने के लिए बाध्य करे।
- **वित्तीय निर्भरता**: अपारदर्शी वित्त पोषण पारदर्शिता को घटाता है और जवाबदेही को कमजोर करता है।
- **निर्वाचन प्रोत्साहन**: दल अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बजाय चुनावी जीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे व्यक्तित्व-आधारित राजनीति मजबूत होती है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को अनुच्छेद 324 से अधिकार प्राप्त हैं और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें धारा 29A के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण शामिल है।
- परंतु *इंडियन नेशनल कांग्रेस (आई) बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर (2002)* में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ECI संवैधानिक उल्लंघन या वचनभंग के लिए दलों को अपंजीकृत नहीं कर सकता, जिससे इसकी नियामक शक्ति सीमित हो जाती है।
  - इससे ऐसी स्थिति बनती है कि ECI दलों को पंजीकृत तो कर सकता है, पर उनके दुराचार के विरुद्ध कार्रवाई करने की सीमित क्षमता रखता है।
- दसवीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून विधायकों को दल बदलने से रोकता है, यद्यपि कुछ अपवाद हैं जैसे दो-तिहाई विधायकों द्वारा विलय या दल द्वारा अनुमोदन।
- *सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल(2023)* में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "राजनीतिक दल" (न कि विधायक दल) ही व्हिप और नेता नियुक्त करने के लिए केंद्रीय है।

- पूर्ववर्ती निर्णय *राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (2007)* ने बल दिया कि विधायी विभाजन तभी वैध है जब वह मूल राजनीतिक दल में वास्तविक विभाजन को दर्शाए, न कि केवल विधायक दल में।

सुझाव

- **दल का संविधान**: सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों के पास सार्वजनिक संविधान होना चाहिए जिसमें नेतृत्व चयन, आंतरिक चुनाव, अनुशासनात्मक नियम और प्रत्याशी चयन प्रक्रिया का उल्लेख हो।
- **निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना**: भारत निर्वाचन आयोग को लोकतांत्रिक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और बार-बार उल्लंघन करने वाले दलों को निलंबित या अपंजीकृत करने का अधिकार दिया जा सकता है।
- **कानूनी ढाँचा**: दलों के अंदर आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए स्पष्ट कानूनी ढाँचा आवश्यक है।
- **वित्तीय पारदर्शिता**: दान और व्यय का अनिवार्य प्रकटीकरण; चुनावी बॉन्ड की निगरानी को सुदृढ़ करना।
- **क्षमता निर्माण**: दलों के भीतर प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित करना ताकि भागीदारी व्यापक हो।
- **जमीनी सशक्तिकरण**: स्थानीय दल इकाइयों के माध्यम से नीचे से ऊपर तक निर्णय-निर्माण को संस्थागत बनाना।
- **नागरिक दबाव**: मीडिया, नागरिक समाज और मतदाता जवाबदेही की माँग करें तथा आंतरिक लोकतंत्र का पालन करने वाले दलों को पुरस्कृत करें।

निष्कर्ष

- आंतरिक दलगत लोकतंत्र स्वयं लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। आंतरिक सुधारों के बिना राजनीतिक दल केंद्रीकरण, दलबदल और कमजोर जवाबदेही के जोखिम में रहते हैं। इसे सुदृढ़ करना दलों को अधिक प्रतिनिधिक और पारदर्शी बनाएगा, संवैधानिक नैतिकता को सुदृढ़ करेगा तथा भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को सुरक्षित करेगा।

Source :IE

भारत में श्रमिक संघों का क्षीणन

संदर्भ

- न्यूनतम वेतन की माँग; सामाजिक सुरक्षा के दायरे के विस्तार; तथा रोजगारों के ठेकेदारीकरण के विरुद्ध अनेक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में ट्रेड यूनियनों की भूमिका पर चर्चा सामने आई है।

ट्रेड यूनियन

- ट्रेड यूनियन श्रमिकों तथा नियोक्ताओं की स्वैच्छिक संगठनात्मक इकाइयाँ होती हैं, जिनका गठन अपने सदस्यों के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए किया जाता है।
- ये संगठन नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंधों को संतुलित एवं सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं।
- श्रमिक वेतन और कार्य परिस्थितियों पर अपनी सौदेबाज़ी शक्ति बनाए रखने तथा उसे सुधारने के लिए एकजुट होते हैं।
- भारत में [प्रथम संगठित ट्रेड यूनियन *मद्रास लेबर यूनियन* वर्ष 1918 में गठित हुई।
- **1926**: ट्रेड *यूनियन अधिनियम 1926* का अधिनियमन (कानूनी मान्यता)।
- प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठन:
  - इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस
  - मज़दूर संघ
  - सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन्स
  - हिंद मज़दूर सभा

ट्रेड यूनियनों की भूमिका

- **सामूहिक सौदेबाज़ी**: नियोक्ताओं के साथ वेतन, बोनस और सेवा शर्तों पर वार्ता।
- **श्रमिक अधिकारों की रक्षा**: अनुचित बर्खास्तगी, शोषण और वेतन कटौती से सुरक्षा।
- **विवाद समाधान**: हड़ताल/तालेबंदी रोकने हेतु श्रमिकों और प्रबंधन के बीच मध्यस्थता।
- **कल्याणकारी गतिविधियाँ**: स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा में सहयोग।
- **जागरूकता एवं शिक्षा**: श्रमिकों को अधिकारों, कानूनों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना।

- **नीति समर्थन**: श्रम कानूनों और सरकारी नीतियों को प्रभावित करना।
- **संगठन एवं आंदोलन**: आवश्यकता पड़ने पर विरोध, हड़ताल और आंदोलन आयोजित करना।
- **संचार सुविधा**: प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सेतु का कार्य करना।

हाल की चिंताएँ

- **सौदेबाज़ी शक्ति में गिरावट**: 1991 से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र में यूनियनों की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक थी। उदारीकरण के बाद श्रम बाज़ार के अनौपचारिक होने से यूनियनों की शक्ति घटती गई।
- **विखंडन और बहुलता**: एक ही उद्योग या उद्यम में अनेक यूनियनों का अस्तित्व आपसी प्रतिद्वंद्विता और कमजोर सौदेबाज़ी का कारण बनता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप**: कई यूनियनें राजनीतिक दलों से संबद्ध होती हैं, जिससे ध्यान श्रमिक कल्याण से हटकर राजनीतिक एजेंडे पर चला जाता है।
- **नई अर्थव्यवस्था में सीमित पहुँच**: गिग वर्कर, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर और फ्रीलांसरों का प्रतिनिधित्व कमजोर है, जिससे बिखरे एवं डिजिटल कार्यस्थलों में संगठन कठिन हो जाता है।
- **श्रमिकों में कम जागरूकता**: प्रवासी और अनौपचारिक श्रमिक प्रायः अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे यूनियन सदस्यता एवं भागीदारी सीमित होती है।

ट्रेड यूनियनों से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा

- **मौलिक अधिकार**: अनुच्छेद 19(1)(c) संघ या यूनियन बनाने का अधिकार देता है। परंतु यह अधिकार पूर्ण नहीं है; अनुच्छेद 19(4) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्तिसंगत प्रतिबंध की अनुमति देता है।
    - संविधान हड़ताल का अधिकार नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यूनियन बनाने का अधिकार हड़ताल का अधिकार नहीं है।
- **राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs)** श्रम कल्याण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं:
    - अनुच्छेद 38: न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना।
    - अनुच्छेद 39: पर्याप्त आजीविका सुनिश्चित करना और शोषण रोकना।
    - अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
    - अनुच्छेद 42: न्यायसंगत और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ, मातृत्व राहत।
    - अनुच्छेद 43: जीवन निर्वाह योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर।
    - अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

आगे की राह

- सरकार को अनौपचारिक और गिग क्षेत्रों में यूनियनकरण के विस्तार को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- श्रमिक संरक्षण हेतु कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है।
- सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सामाजिक संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए।

Source: TH

दल-बदल विरोधी कानून

संदर्भ

- राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में विलय का निर्णय लिया है, जिससे दलबदल विरोधी कानून के अनुप्रयोग पर प्रश्न उठे हैं।

दलबदल विरोधी कानून क्या है?

- **"आया राम गया राम"** वाक्यांश भारतीय राजनीति में 1967 में लोकप्रिय हुआ जब हरियाणा के विधायक गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार दल बदला।
- दलबदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) को राजनीतिक दलबदल रोकने हेतु 1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

संवैधानिक अयोग्यता [अनुच्छेद 102(1) एवं 191(1)]

- किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह:
  - केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है।
  - सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित किया गया है।
  - दिवालिया है और उसका निस्तारण नहीं हुआ है।
  - भारत का नागरिक नहीं है, या विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता है।
  - संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है।

दलबदल विरोधी कानून की विशेषताएँ

- **दलबदल के आधार पर अयोग्यता**: किसी राजनीतिक दल से संबंधित विधायक अयोग्य होगा यदि वह:
- (i) स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, या
- (ii) सदन में अपनी पार्टी के निर्देश के विपरीत मतदान करता है/मतदान से अनुपस्थित रहता है।
- यदि सदस्य ने पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो या मतदान/अनुपस्थिति को 15 दिनों के अंदर पार्टी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तो वह अयोग्य नहीं होगा।
- स्वतंत्र सदस्य सदन में निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं तो अयोग्य होंगे। नामित सदस्य नामांकन के छह माह बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं तो अयोग्य होंगे।
- सदस्य को सदन से अयोग्य ठहराने का निर्णय सदन के अध्यक्ष/सभापति के पास होता है।

अपवाद

- दसवीं अनुसूची में प्रारंभिक रूप से दो अपवाद दिए गए थे:
- यदि 'विधायक दल' के एक-तिहाई सदस्य अलग होकर नया समूह बनाते हैं।
- यदि उनके 'राजनीतिक दल' का किसी अन्य दल में विलय हो जाए और उसके दो-तिहाई सदस्य इसे अनुमोदित करें।
- हालाँकि, पहला अपवाद (एक-तिहाई विभाजन) को 2003 में कानून को सशक्त बनाने हेतु हटा दिया गया।

Objectives of Anti-Defection Law

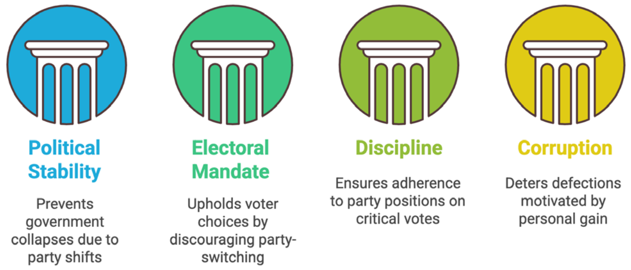

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- **किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लू (1992)**: दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता पर अध्यक्ष के निर्णय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
- **केशम मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर, मणिपुर (2020)**: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अयोग्यता याचिका पर निर्णय हेतु अध्यक्ष को अधिकतम तीन माह का समयसीमा है।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

- **निर्णय में विलंब**: कई मामलों (जैसे कर्नाटक, मणिपुर) में निर्णय महीनों या वर्षों तक टलते रहे, जिससे सरकार की स्थिरता प्रभावित हुई।
- **पक्षपात के आरोप**: अध्यक्ष/सभापति प्रायः सत्तारूढ़ दल से होते हैं, जिससे पक्षपातपूर्ण निर्णय की आशंका रहती है।
- **सीमित न्यायिक हस्तक्षेप**: यद्यपि न्यायिक समीक्षा संभव है, परंतु न्यायालय सामान्यतः अध्यक्ष के निर्णय के बाद ही हस्तक्षेप करते हैं।
- **विधायकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध**: यह कानून सांसदों/विधायकों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने से हतोत्साहित करता है, जिससे सदन में अभिव्यक्ति और अंतरात्मा की स्वतंत्रता सीमित होती है।
- **कठोर व्हिप प्रणाली**: पार्टी व्हिप गैर-महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जारी किए जाते हैं, जिससे दल के भीतर बहस और असहमति की गुंजाइश घटती है।
- **सामूहिक दलबदल की संभावना**: दो-तिहाई अपवाद बड़े पैमाने पर दलबदल को "विलय" के नाम पर वैध

बना देता है, जिससे कानून की मंशा कमजोर होती है। विधि आयोग (170वीं रिपोर्ट) और अनेक विद्वानों ने तर्क दिया है कि यह कानून राजनीतिक दलबदल को पूरी तरह रोकने में विफल रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं आगे का मार्ग

- दलबदल विरोधी कानून ने राजनीतिक अस्थिरता को कम करने में सहायता की है, परंतु इसके क्रियान्वयन में कमियाँ और अतिरेक इसके लोकतांत्रिक उद्देश्य को कमजोर करते हैं।
- सुधार आवश्यक हैं ताकि दल अनुशासन और जवाबदेही में संतुलन बने, निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित हों, तथा आंतरिक दलगत लोकतंत्र को बढ़ावा मिले जिससे भारत की संसदीय व्यवस्था सुदृढ़ हो।

Source: TH

मिथोस चुनौती: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा एवं वैश्विक शासन

संदर्भ

- एंथ्रॉपिक के *मिथोस* जैसे अत्याधुनिक मॉडलों का उद्भव, जिनमें स्वायत्त रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना में कमजोरियों की खोज और उनका दुरुपयोग करने की क्षमता है, शासन को एक तात्कालिक वैश्विक प्राथमिकता बना चुका है।

कृ त्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा का बदलता स्वरूप

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तीव्र गति से साइबर सुरक्षा परिदृश्य को बदल रही है, जिससे अभूतपूर्व अवसरों के साथ-साथ प्रणालीगत जोखिम भी उत्पन्न हो रहे हैं।
- इसने वास्तविक समय में खतरे की पहचान, साइबर जोखिमों के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण, और रक्षा तंत्र के स्वचालन द्वारा साइबर सुरक्षा क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।
- किंतु यही क्षमताएँ हथियार के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं। उन्नत AI प्रणालियाँ *ज़ीरो-डे कमजोरियों* की पहचान कर सकती हैं, बहु-स्तरीय साइबर हमले स्वायत्त रूप से कर सकती हैं, और बैंकिंग, ऊर्जा तथा दूरसंचार जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना को निशाना बना सकती हैं।
- एजेंटिक AI का उदय, जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ कार्य करता है, पारंपरिक सुरक्षा ढाँचों को अपर्याप्त बना देता है।

एं थ्रॉपिक का मिथोस मामला

- *मिथोस* मॉडल AI के द्वि-उपयोग (dual-use) द्वंद्व का उदाहरण है। यह साइबर रक्षा को सुदृढ़ कर सकता है, किंतु इसकी प्रणालीगत कमजोरियों का दुरुपयोग करने की क्षमता गंभीर खतरे उत्पन्न करती है:
  - गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा संभावित दुरुपयोग
  - अनधिकृत पहुँच का जोखिम
  - मानव साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों से अधिक क्षमता प्राप्त करना
  - ऐसे विकास ने AI शासन को तत्काल आवश्यकता बना दिया है।

AI युग में शासन की चुनौतियाँ

- **नियामक अंतराल**: वर्तमान साइबर सुरक्षा कानून स्व-शिक्षण AI प्रणालियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। भारत के साइबर कानून AI-प्रेरित खतरों को समायोजित करने में संघर्ष कर रहे हैं।
- **वैश्विक सहमति का अभाव**: AI जोखिम राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। साइबर कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता (अपारदर्शिता समस्या)**: AI प्रणालियाँ प्रायः 'ब्लैक बॉक्स' की तरह कार्य करती हैं, जिससे जिम्मेदारी तय करना कठिन होता है।
- **निजी क्षेत्र का प्रभुत्व**: शक्तिशाली AI मॉडलों का विकास और उपयोग मुख्यतः निजी कंपनियों द्वारा नियंत्रित है, जिससे पहुँच, सुरक्षा एवं दुरुपयोग की स्थिति में जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं।

भारत-विशिष्ट चुनौतियाँ

- **वित्तीय एवं महत्वपूर्ण अवसंरचना**: *मिथोस* जैसे AI मॉडल वित्तीय प्रणालियों और महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- **नियामक**: विखंडित नियामक ढाँचे और AI-प्रेरित साइबर खतरों के लिए अपर्याप्त तैयारी।
- **रणनीतिक**: भारत का विशाल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (UPI, आधार, दूरसंचार नेटवर्क) इसे विशेष रूप

से संवेदनशील बनाता है। साथ ही, इसका पैमाना इसे वैश्विक AI शासन में प्रमुख हितधारक बनाता है।

AI, साइबर सुरक्षा और शासन में वैश्विक प्रयास

- **वैश्विक शासन प्रवृत्तियाँ**:
    - स्वैच्छिक दिशानिर्देशों से बाध्यकारी विनियमों की ओर बदलाव
    - जोखिम-आधारित ढाँचों का अपनाना
    - परिनियोजन से पूर्व AI सुरक्षा परीक्षण का महत्व
    - साइबर सुरक्षा में AI के द्वि-उपयोग स्वरूप की मान्यता
- **EU का जोखिम-आधारित नियामक मॉडल** (*AI Act*):
    - उच्च-जोखिम AI (महत्वपूर्ण अवसंरचना, कानून प्रवर्तन) पर कठोर अनुपालन।
    - पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवीय पर्यवेक्षण पर बल।
- **USA का सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण**:
    - राष्ट्रीय सुरक्षा और नवाचार संतुलन पर ध्यान।
    - AI सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर कार्यकारी आदेश।
    - AI कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग।
    - शक्तिशाली मॉडलों तक नियंत्रित पहुँच।
- **UK का AI सुरक्षा एवं फ्रंटियर मॉडल दृष्टिकोण**:
    - *AI सुरक्षा संस्थान* की स्थापना।
    - स्वायत्त साइबर हमलों सहित फ्रंटियर AI जोखिमों पर ध्यान।
    - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा।
- **चीन का राज्य-नियंत्रित AI शासन**:
    - AI परिनियोजन और डेटा प्रवाह पर कठोर नियंत्रण।
    - राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ AI शासन का एकीकरण।

बहुपक्षीय पहल

- **G7 हिरोशिमा AI प्रक्रिया**: सुरक्षित, विश्वसनीय AI पर ध्यान; आचार संहिता को प्रोत्साहन।
- **OECD AI सिद्धांत**: जिम्मेदार AI उपयोग, मानवाधिकार और पारदर्शिता को बढ़ावा।
- **संयुक्त राष्ट्र प्रयास**: वैश्विक AI शासन ढाँचे पर चर्चा; विकासशील देशों की समावेशी भागीदारी पर बल।
- **साइबर सुरक्षा-विशिष्ट वैश्विक सहयोग**
    - **NATO सहकारी साइबर रक्षा केंद्र:** AI-सक्षम साइबर खतरों पर ध्यान।
    - **साइबर विशेषज्ञता पर वैश्विक मंच (GFCE):** साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण; AI-प्रेरित साइबर रक्षा सहयोग पर बल।

भारत का दृष्टिकोण

- **नीति**: भारत सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना और जिम्मेदार AI परिनियोजन की आवश्यकता पर बल देता है।
    - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (2013) और उसके अद्यतन।
    - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023)।
    - नीति आयोग की राष्ट्रीय AI रणनीति।

आगे की राह: वैश्विक शासन

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**: AI उपयोग हेतु वैश्विक मानदंड और संधियाँ स्थापित करना; साइबर खतरों पर सूचना साझा करना।
- **जोखिम-आधारित विनियमन**: AI प्रणालियों को जोखिम (निम्न, मध्यम, उच्च) के आधार पर वर्गीकृत करना; उच्च-जोखिम प्रणालियों पर कठोर नियंत्रण।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग**: सरकारों और तकनीकी कंपनियों को सुरक्षित परिनियोजन हेतु सहयोग करना चाहिए; नियंत्रित पहुँच (जैसे *मिथोस* परीक्षण) जैसी पहल सहायक हो सकती हैं।
- **घरेलू ढाँचों को सुदृढ़ करना**: साइबर कानूनों को AI-विशिष्ट प्रावधानों के साथ अद्यतन करना; निगरानी और प्रवर्तन हेतु संस्थागत क्षमता का निर्माण।
- **विकासशील देशों का समावेश**: भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मंच पर स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि वे प्रमुख डेटा प्रदाता और AI बाज़ार हैं।

Source: IE

प्रस्तावित कीटनाशक विधेयक को लेकर उद्योग निकाय द्वारा चिंता व्यक्त

संदर्भ

- कीटनाशक निर्माताओं के एक उद्योग संगठन ने केंद्रीय कृषि सचिव से आग्रह किया है कि मसौदा *कीटनाशक प्रबंधन विधेयक* में लक्षित परिवर्तन किए जाएँ ताकि किसानों को प्रभावी फसल संरक्षण तकनीकों तक शीघ्र पहुँच मिल सके।

परिचय

- कृषि मंत्रालय ने *कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025* का मसौदा जारी किया है और इस पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। यह विधेयक *कीटनाशक अधिनियम, 1968* और *कीटनाशक नियम, 1971* को प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य रखता है।
  - इसका लक्ष्य नकली कीटनाशकों की बढ़ती समस्या से निपटना और तकनीक एवं कठोर विनियमन के माध्यम से किसान कल्याण को सुदृढ़ करना है।
- **हितधारकों की चिंताएँ:** नए अणुओं और नए उपयोगों के लिए समयबद्ध *नियामक डेटा संरक्षण (PRD)* ढाँचे को शामिल करने की माँग।
  - भारत में नए उपयोग लाने के लिए सुरक्षा, प्रभावकारिता, अवशेष और पर्यावरणीय डेटा में बड़े निवेश की आवश्यकता होती है।
  - यदि उस डेटा के उपयोग को नियंत्रित करने वाला स्पष्ट ढाँचा न हो, तो भारतीय बाज़ार में नई तकनीकों को शीघ्र लाने के लिए प्रोत्साहन सीमित रहता है।
  - संगठन ने लगभग पाँच वर्षों की सीमित, समयबद्ध PRD रूपरेखा का प्रस्ताव दिया है, जिससे किसानों तक नए समाधान शीघ्र पहुँच सकें।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- **केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CPB)**: अधिनियम लागू होने की तिथि से छह माह के अंदर गठित किया जाएगा। यह सर्वोच्च नियामक निकाय होगा, जो वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- **पंजीकरण समिति**: अधिनियम लागू होने की तिथि से छह माह के अंदर गठित की जाएगी। यह की टनाशक पंजीकरण से संबंधित आवेदन और निर्णयों को संभालेगी।
- **सुधारोन्मुख उपाय**: नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु तकनीक और डिजिटल प्रक्रियाओं का उपयोग।
- **कीटनाशक पंजीकरण**:
  - आयात या निर्माण करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य।
  - पंजीकरण निर्णय सुरक्षा, प्रभावकारिता और आवश्यकता पर आधारित होंगे।
- **लाइसेंस और अनुपालन**:
  - निर्माण, बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन, परिवहन या कीटनाशक संबंधी वाणिज्यिक कार्यों के लिए लाइसेंस आवश्यक।
  - लाइसेंसिंग अधिकारी लाइसेंस प्रदान करने, संशोधित करने, निलंबित करने या रद्द करने के लिए सशक्त।
  - लाइसेंसधारकों के लिए विस्तृत दायित्व, जिनमें अभिलेख-रखरखाव और अवसंरचना व सुरक्षा मानकों का अनुपालन शामिल है।
- **समीक्षा, निलंबन और रद्दीकरण**:
  - यदि कीटनाशक अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न करते हैं या पंजीकरण/लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो पंजीकरण और लाइसेंस की समीक्षा या रद्दीकरण किया जा सकता है।
  - औपचारिक रद्दीकरण प्रक्रिया के बाद उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- **प्रवर्तन और निगरानी**:
  - कीटनाशक निरीक्षक और लाइसेंसिंग अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सशक्त।
  - राज्य सरकारों को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  - केंद्र सरकार डेटा माँग सकती है और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु कार्रवाई कर सकती है।
- **दंड**: मसौदा राज्य-स्तरीय अधिकारियों को अपराधों के मामलों में अधिक दंड लगाने का अधिकार देता है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन सुदृढ़ होता है।

महत्व

- यह विधेयक कीटनाशक शासन को आधुनिक बनाता है:

- पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं का परिचय।
- नियामक निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करना।
- निर्णय-निर्माण के लिए स्पष्ट संस्थागत ढाँचे का निर्माण।
- पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

BRICS-MENA दूतों ने पश्चिम एशिया में युद्ध पर चिंता व्यक्त की

संदर्भ

- BRICS समूह और MENA (मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका) के उप-विदेश मंत्रियों एवं विशेष दूतों ने अमेरिका-इज़रायल द्वारा ईरान के विरुद्ध युद्ध पर "गहरी चिंता" व्यक्त की।

BRICS के बारे में

- BRICS पाँच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का समूह है: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
  - मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं।
- BRICS विश्व की लगभग 41% जनसंख्या, लगभग 24% वैश्विक GDP और लगभग 16% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।
- **उत्पत्ति**: BRIC एक औपचारिक समूह के रूप में 2006 में रूस, भारत और चीन के नेताओं की सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक के बाद शुरू हुआ।
  - यह शब्द 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा गढ़ा गया था।
  - समूह को औपचारिक रूप से 2006 में UNGA के दौरान BRIC विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक में मान्यता मिली।
  - प्रारंभ में इसे BRIC कहा गया, दक्षिण अफ्रीका के 2010 में शामिल होने के बाद इसे BRICS कहा जाने लगा।
- BRICS देश तीन स्तंभों के अंतर्गत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करते हैं:
  - राजनीतिक एवं सुरक्षा
  - आर्थिक एवं वित्तीय
  - सांस्कृतिक एवं जन-से-जन आदान-प्रदान
- **शिखर सम्मेलन**: BRICS देशों की सरकारें 2009 से प्रतिवर्ष औपचारिक शिखर सम्मेलन में मिलती हैं।
- **निर्णय प्रक्रिया**: सभी निर्णय BRICS सदस्य देशों द्वारा परामर्श और सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक**: पूर्व में BRICS विकास बैंक कहलाता था, यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है।

NEXT IAS

ANEM

- MENA का अर्थ है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। इसमें ईरान से लेकर पश्चिम में ट्यूनीशिया और मोरक्को तक के देश शामिल हैं।
- यह क्षेत्र विशाल तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व के आधे से अधिक तेल भंडार और दो-पाँचवाँ प्राकृतिक गैस भंडार यहाँ स्थित है।
- यह ऊर्जा बाज़ारों में प्रमुख भूमिका निभाता है और विशेष रूप से तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में निवेश के बड़े अवसर प्रदान करता है।

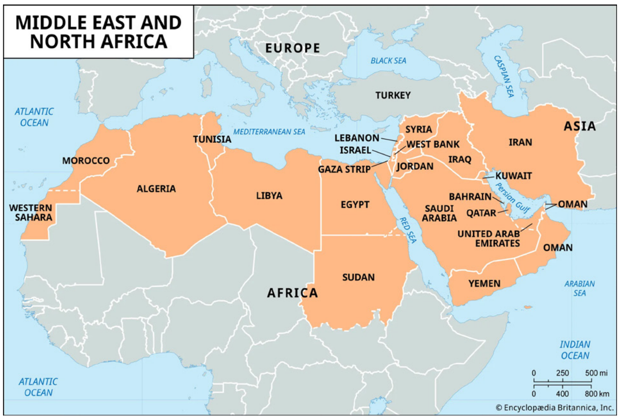

स्रोत: TH

SAARC मुद्रा विनिमय रूपरेखा

संदर्भ

- भारत ने मालदीव के लिए SAARC मुद्रा विनिमय रूपरेखा के अंतर्गत 30 अरब रुपये की प्रथम निकासी को स्वीकृति दी है, जिससे द्वीप राष्ट्र को भारत का सतत वित्तीय समर्थन सुदृढ़ हुआ है।

SAARC मुद्रा विनिमय रूपरेखा

- यह वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र में एक मान्यता प्राप्त द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था है।
- इसका उद्देश्य भारत के SAARC देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना तथा क्षेत्रीय एकीकरण एवं परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देना है।
- यह रूपरेखा 2012 से लागू है, ताकि SAARC देशों को अल्पकालिक विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

SAARC

- *दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)* की स्थापना 1985 में ढाका में SAARC चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई।
- SAARC में आठ सदस्य देश हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- SAARC चार्टर में उल्लिखित उद्देश्यों में शामिल हैं:
  - क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को तीव्र करना।
  - दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
  - आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित करना।
  - अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करना।

स्रोत: AIR

RBI द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने *पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड* का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे इसे तत्काल प्रभाव से किसी भी बैंकिंग संचालन को करने से रोक दिया गया है।

पेमेंट्स बैंक

- यह RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक विशेषीकृत बैंक है, जो जमा, भुगतान और प्रेषण जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने या ऋण देने की अनुमति नहीं होती।
- RBI ने 27 नवंबर 2014 को लघु वित्तीय बैंकों और पेमेंट्स बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।

प्रमुख विशेषताएँ

- बचत और चालू खाते प्रदान करता है तथा बिल भुगतान एवं धन हस्तांतरण की सुविधा देता है।
- प्रति ग्राहक केवल दो लाख रुपये तक की जमा स्वीकार कर सकता है और ऋण या क्रेडिट कार्ड की अनुमति नहीं होती।
- डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

स्रोत: AIR

प्रोजेक्ट दंतक

समाचार में

- प्रोजेक्ट दंतक ने अपनी स्थापना दिवस मनाया, जो 1961 से भूटान में 65 वर्षों की सतत सेवा को दर्शाता है।

प्रोजेक्ट दंतक

- प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना 24 अप्रैल 1961 को भूटान के तृतीय राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि से हुई थी, जिसका उद्देश्य भूटान की संपर्क व्यवस्था को सुधारना एवं उसके सामाजिक-आर्थिक विकास को समर्थन देना था।
- इसे देश की प्रथम मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था।
- 1968 तक इसने प्रमुख मार्गों का निर्माण पूरा कर लिया था, जिनमें *सामद्रुप जोंगखर–त्राशिगांग सड़क* और *फुंटशोलिंग–थिम्फू राजमार्ग* शामिल हैं।
- इसका नेतृत्व *सीमा सड़क संगठन (BRO)* करता है।

प्रगति

- प्रोजेक्ट दंतक भूटान की संपर्क व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रमुख चालक रहा है। इसने 1,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया है, जिनमें *ईस्ट–वेस्ट हाईवे* और प्रमुख अवसंरचना जैसे राजमार्ग, हवाई अड्डे, पुल, अस्पताल, विद्यालय एवं संचार नेटवर्क शामिल हैं।
- हाल के वर्षों में इसने अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे सड़क चौड़ीकरण और *कॉनफ्लुएंस–हा* तथा *सामद्रुप जोंगखर–त्राशिगांग राजमार्ग* का उन्नयन, जिससे सुरक्षा एवं यात्रा दक्षता में सुधार हुआ है।
- इसने आपदा प्रतिक्रिया में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, जैसे भूस्खलन और सड़क क्षति के बाद शीघ्र संपर्क पुनर्स्थापित करना।

स्रोत: PIB

FTO रैंकिंग

समाचार में

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने DGCA द्वारा अनुमोदित *फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन्स (FTOs)* की दूसरी चरण की रैंकिंग (अप्रैल 2026) जारी की है।

FTO रैंकिंग प्रणाली

- इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के अंतर्गत संकलित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करना और DGCA-अनुमोदित फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों में जवाबदेही को प्रोत्साहित करना है।
- रैंकिंग ढाँचे का प्रथम चरण अक्टूबर 2025 में प्रकाशित किया गया था।

उद्देश्य

- यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाकर भावी पायलटों और उनके परिवारों को सूचित निर्णय लेने में मदद करती है।
- यह युवाओं के लिए पायलट प्रशिक्षण को आकर्षक बनाती है और विमानन करियर को प्रोत्साहित करती है।

नवीनतम रैंकिंग

- नवीनतम रैंकिंग में समग्र प्रगति दिखाई गई है। *अव्यन्ना एविएशन प्रा. लि.* ने प्रथम बार शीर्ष श्रेणी ‘A’ प्राप्त की है।
- अधिक संस्थान श्रेणी ‘B’ में पहुँचे हैं और कम संस्थान श्रेणी ‘C’ में बचे हैं, जो मानकों में सुधार को दर्शाता है।

FTO रैंकिंग प्रणाली के प्रभाव

- भारत का विमानन प्रशिक्षण क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से सुधरा है। प्रशिक्षण उड़ान घंटे 32% से बढ़कर 50% हो गए हैं।
- फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूलों में विमान बेड़े का विस्तार हुआ है।
- दक्षता बढ़ी है, जिससे कैडेट्स को *कमर्शियल पायलट लाइसेंस* आवश्यकताओं को पूरा करने में कम समय लगता है।
- इस प्रणाली ने भावी पायलटों को वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन डेटा का उपयोग करके सूचित निर्णय लेने में मदद की है और भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने के लक्ष्य के अनुरूप पायलट प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ किया है।

■■■■